रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
2/12/99
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 509] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 15, 1999/आश्विन 23, 1921
No. 509] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 15, 1999/ASVINA 23, 1921

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1999

सा.का.नि. 703(अ).—चाय बोर्ड (हानि अपलिखित करना) नियम, 1996 का संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों के संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 49 की उपधारा (2) के खंड (अ अ) के साथ पठित धारा 49 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको इन प्रारूप नियमों से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा,

किन्हीं ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी;

आक्षेप या सुझाव यदि कोई हो, सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चाय बोर्ड (हानि अपलिखित करना) संशोधन नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चाय बोर्ड (हानि अपलिखित करना) नियम, 1996 में :—

(1) नियम 5 में, :—

(i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) भूल, उपेक्षा, कपट, चोरी, असावधानी और बोर्ड की संपत्ति और धन के दुर्विनियोग से उदभूत हानियों का पता जैसे ही बोर्ड के किसी पदधारी को लगता है उक्त पदधारी तुरन्त अपने अव्यवहित वरिष्ठ अधिकारी को उसकी रिपोर्ट करेगा;"

(ii) उपनियम (3) में,—

(क) उपरोक्त नियम 1 और 2 में यथाविहित से प्रारंभ होने वाले और "उपदर्शित उपबंधों का पालन करेगा;" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"उपरोक्त उपनियम (1) और (2) में यथाविहित कार्रवाई करने के अतिरिक्त ऊपर उल्लिखित प्राधिकारी, आग लगने, चोरी होने आदि के परिणामस्वरूप बोर्ड की संपत्ति को सारवान प्रकृति की क्षति जिसके अंतर्गत नाश भी है, होने की दशा में जिसका निर्धारित मूल्य 10,000 रुपये या उससे अधिक हो, नीचे उपदर्शित उपबंधों का पालन करेगा;"

(ख) खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा किया जाएगा, अर्थात् :—

"(i) किसी कार्यालय/संस्थापन में संदिग्ध चोरी, कपट, आग लगने आदि के कारण सारवान प्रकृति की क्षति होती है जिसका निर्धारित मूल्य 10,000 रुपये या अधिक हो, तो ऐसे मामलों में जांच के लिए सदैव प्रथम उपलब्ध अवसर पर अन्वेषण के लिए पुलिस को रिपोर्ट की जाएगी।"

(2) नियम 6 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) इन नियमों के नियम 5 के उपनियम (2) के अनुसार उक्त उपनियम (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त कर लिए जाने पर हानि के लिए जिम्मेदार पदधारी के विरुद्ध जिम्मेदारी नियत करते हुए अंतिम रूप से समाप्त की जाएगी उसके पश्चात् अंतिम विनिश्चय के लिए उसे अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा;

परन्तु यह कि एक मुश्तवसूली या किश्तों में वसूली किए जाने का विनिश्चय पूर्णत: अध्यक्ष का विवेकाधिकार होगा;

परन्तु और यह कि हानि की वसूली करने का आदेश जारी करने से पहले अपचारी पदधारी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।"

[फा. सं. टी-54012/4/98-प्लांट(ए)]

रति विनय झा, अपर सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल नियम भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 14 अगस्त, 1996 की अधिसूचना सं. 364(अ) के अनुसार प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 1999

G.S.R. 703 (E).—The following draft amendment of certain rules to amend the Tea Board (Write Off Losses) Rules, 1996 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 49, read with clause (ja) of sub-section (2) of section 49 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) is hereby published, as required by sub-section (1) of the section 49 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft within the period so specified, will be considered by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Commerce, Udyog Bhavan, New Delhi-110011

DRAFT RULES

1. (1) These Rules may be called Tea Board (Write Off Losses) Amendment Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Tea Board (Write Off Losses) Rules, 1996:—

(1) in rule 5,–

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) Losses arising out of mistake, negligence, fraud, theft, carelessness and misappropriation to the property and money of the Board as soon as may be detected by an official of the Board shall forthwith be reported by the said official to his/her immediate superior officer";

(ii) in sub-rule (3),–

(a) for the portion beginning with the words "In addition to taking action" and ending with the words "as a result of fire, theft, etc.", the following shall be substituted, namely:—

"In addition to taking action as prescribed in sub-rules (1) and (2) above, the authorities mentioned above shall follow the provision indicated below in cases involving loss of substantial nature including destruction of Board's property as a result of fire, theft, etc. and having an assessed value of Rs. 10,000/- or more."

(b) for clause (i), the following shall be substituted namely:—

"(i) When loss of substantial nature having an assessed value of Rs. 10,000/- or more due to suspected theft, fraud, fire etc. occur in any office/ installation, such cases should invariably be reported to the Police for investigation on the first available opportunity".

(2) in rule 6, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The report as per sub-clause (2) of clause 5 of these rules when received by the authorities mentioned in the said sub-clause (2) above shall be finally concluded by fixing responsibility against the official responsible for the loss and thereafter shall be submitted to the Chairman for a final decision in the matter:

Provided that decision for lump-sum recovery or recovery by installments shall be the exclusive discretion of the Chairman :

Provided further that prior to issuance of the order of recovery of the losses, the delinquent official shall be given an opportunity of being heard".

[F. No. T-54012/4/98–Plant(A)]

RATIII VINAY JHA, Addl. Secy.

Foot Note:—The principle rules were published as per the Government of India, Ministry of Commerce Notification No. 364(E) dated the 14th August, 1996.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.